IN THE COURT OF THE DEPUTY COMMISSIONER, WEST SINGHBHUM, CHAIBASA

Date	Order	Remarks
27-11-20	सी०सी०ए० केस संख्या–12 / 2019 राज्य–बनाम–मो० आदिल रसीद **आ दे श** यह वाद पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक–232 / डी०सी०बी०, दिनांक 11.04.19 के द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आलोक में विपक्षी मो० आदिल रसीद, पिता–मो० सहवान आलम साकिन–बरकंदाज टोली, बड़ी बाजार, थाना–सदर, जिला–पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा–3(3)b(i) के अन्तर्गत प्रतिदिन थाना में हाजरी लगाने की कार्रवाई प्रारम्भ किया गया है। झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 3(1) b(ii) में निहित प्रावधान के अनुसार विपक्षी मो० आदिल रसीद को कार्यालय पत्रांक 29(ए) / विधि, दिनांक 01.06.2019 द्वारा तामिला कराने हेतु सूचना निर्गत किया गया। जिसके क्रम में मो० आदिल रसीद द्वारा दिनांक 19.07.2019 को तामिला दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव में आरोपी अमित सिंह के विरूद्ध निम्नवत अपराधिक इतिहास को आधार बनाया गया। 1. सदर थाना काण्ड संख्या 56 / 09 दिनांक 23.08.09 धारा 379 / 411 भा0द0वि0 में वादी सातारी जारिक पिता सदुम्बी जारिका ग्राम कुन्दुरुहातु थाना मुफस्सिल जिला प0 सिंहभूम लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त मो0 आदिल रसीद पे0 मो0 सहवान आलम सा0 बरकन्दाज टोली बड़ी बाजार थाना सदर जिला प० सिंहभूम चाईबासा वादी का साईकिल, रुंगठा विद्यालय के पास से चोरी कर अनुप भगत सा0 ग्वल पट्टा थाना सदर जिला प०सिंहभूम चाईबासा को बेचने के आरोप में तथा अनुप भगत के विरुद्ध चोरी के साईकिल खरीदने के आरोप में अकंति किया गया। अनुसंधानोंपरान्त अराधकर्मी मो0 आदिल रसीद के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया। 2. सदर थाना काण्ड संख्या 69 / 14 दिनांक 11.08.14 धारा 379 / 411 भा0द0वि0 में पंकज खिरवाल पे० स्व० संतोष खिरवाल सा0 मेडिसिन हाउस कपड़ा पट्टी थाना सदर जिला प०	

Date	Order	Remarks
	सिंहभूम, चाईबासा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त मो0 आदिल रशीद पिता मो0 शवान आलम सा0 बड़ी बाजार थान सदर जिला प० सिंहभूम, चाईबासा के द्वारा दुकान से मोबाईल चोरी करने के आरोप में दर्ज किया गया अनुसांधानोंपरान्त आरोप पत्र समर्पित किया गया। सदर थाना सनहा–सदर थाना सनहा संख्या 17/19 दिनांक 11.03.19 समय 18:00 बजे, इस समय दुरभाष पर सूचना मिली कि मो0 आदिल रसीद पे0 मो। सहवाज आलम सा0 बरकन्दाज टोली बड़ी बाजार थाना सदर जिला पा सिंरभूम, चाईबासा जो कुख्यात अपराधकर्मी है जो थाना के दागी भी है। होली एवं चुनाव के अवसर पर सामाजिक सदभाव के बिगड़ने की कोशिश में लगे हुए है। उपरोक्त सभी दागी की गति विधियों पर निगरानी रखी जा रही है। अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित है कि कुख्यात सक्रिय दुर्दान्त अपराधकर्मी मो० आदिल रसीद गैंग का सदस्य है तथा विगत कई व सदर थाना क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र एवं छुपने का स्थान बना रखा है। इस कुख्यात सक्रिय अपराधकर्मी मो० आदिल रसीद का मुख्य कार्य सदर थाना में चोरी, छिनतई तथा सांप्रदायिक समरसता को भंग करना तथा आम जनता में दहशत पैदा करना है तथा इनसे आम जनता भयभीत है। इनका अपराधिक गतिविधि के कारण चाईबासा जिला के सदर थाना में दो काण्ड में आरोपित है। इनके अतिरिक्त इस अपराधकर्मी के विरूद्ध सदर थाना दैनिकी सं0 17/19, दिनांक 11.03.19 दर्ज किया गया है। जिसका विस्तृत उल्लेख अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में किया गया है। जिसका विस्तृत उल्लेख अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में किया गया है। सक्रिय अपराधकर्मी मो० आदिल रसीद, पिता–मो० सहवान आलम साकिन–बरकंदाज टोली, बड़ी बाजार, थाना–सदर, जिला–पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा 1. सदर थाना काण्ड संख्या 56/09, दिनांक–23.08.09 धारा 379/411 भा0द0वि0 एवं 2. सदर थाना काण्ड संख्या 69/14 दिनांक–11.08.14 धारा 379/417 भा0द0वि0, के अन्तर्गत मण्डलकारा चाईबासा के काराधीन	

Date	Order	Remarks
	थे। वर्तमान में कारा से जमानत पर मुक्त हो गये है। इनके अपराधिक गतिविधि के कारण चाईबासा जिला की लोक शांति व्यवस्था पर गम्भीर असर पड़ रहा है। लोक व्यवस्था, विधि व्यवस्था एवं अपराधिक गतिविधि तथा क्षेत्र में लोक शांति बनाये रखने हेतु अपराधकर्मी मो० आदिल रसीद झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 3(3)b(i) के अन्तर्गत प्रतिदिन थाना में हाजरी लगाने हेतु आदेश निर्गत किया जाय। मो० आदिल रसीद द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर एक मौका देने हेतु अनुरोध किया गया एवं अधोहस्ताक्षरी को आश्वस्त किया गया कि अभी वो एक शांति प्रिय एवं कानुन का पालन करने वाला नागरिक है। उनके द्वारा भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में उनके विरूद्ध लोक व्यवस्था, विधि व्यवस्था एवं अपराधिक गतिविधि तथा क्षेत्र में लोक शांति बनाये रखने करने संबंधी कोई आरोप इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होगा। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विपक्ष के विरूद्ध तीन मामलों का जिक्र पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन में किया गया है। जिसमें से दो मामलों में विपक्षी के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित है। एक वर्ष से अधिक अवधी के दौरान उनके विरूद्ध अपराधिक घटना को अंजाम देकर विधि व्यवस्था एवं लोक शांति व्यवस्था भंग करने संबंधी किसी प्रकार का आसूचना अप्राप्त है। उक्त परिपेक्ष्य में विपक्षी मो० आदिल रसीद को अंतिम चेतावनी देते हुए इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। जिला दण्डाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा	